भारतीय मानक ब्यूरो
(हिंदी विभाग)

संदर्भ: हिन्दी/सं.रा.स.सामान्य/2021 05.07.2021

विषय: संसदीय राजभषा समिति के निरीक्षण से संबंधित

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर बीआईएस के कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के दौरान सामान्यत: यह देखने में आया है कि समिति द्वारा राजभाषा के प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्यो और गतिविधियों में कार्य की कमी या कार्यवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। ये बिन्दु निम्नलिखित हैं :

क) हिंदी के रिक्त पदों पर भर्ती - राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी कार्यालय में **18 अनुसचिवीय कर्मचारियों (ministreal employee)** की संख्या पर एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का पद निर्धारित है। यदि किसी कार्यालय में नियमानुसार राजभाषा का पद सृजित किया जाना अपेक्षित है अथवा रिक्त है तो इस संबंध में मुख्यालय को सूचित करें।

ख) हिंदी पुस्तकों की खरीद - राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित बजट में से 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जानी चाहिए। सभी कार्यालय हिंदी पुस्तकों की खरीद अनिवार्य रूप से करें िजसके लिए पुस्तकालय विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को बजट राशि आवंटित की जाती है। पुस्तकों के चयन के संबंध में मुख्यालय से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

ग) हिंदी भाषा प्रशिक्षण - राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक स्तर पर उनके हिंदी भाषा के स्तर के अनुसार हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी का कम से कम **कार्यसाधक ज्ञान (working knowledge)** होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के संबंध में उल्लेखनीय है कि यदि कर्मचारियों को उनके हिंदी ज्ञान के स्तर के अनुसार पूर्णकालिक अथवा नियमित प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाना संभव न हो तो कर्मचारियों को पत्राचार पाठयक्रम (Correspondence Course) अथवा इंटरनेट के माध्यम से भी भाषा प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी स्वयं यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तो उसे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। यह घोषणा निर्धारित प्रोफार्मा में देनी होगी।

घ) हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण - नियमानुसार कार्यालय के सभी टंककों (LDC) एवं अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए हिंदी टाइपिंग एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना के अधीन दिया जाता है। हिंदी आशुलिपि की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष एवं हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होती है जिसके प्रवेश की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा समय-समय पर कार्यालयों को परिचालित की जाती है और इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in से भी ली जा सकती है।

ङ) नगर राजभाषा कार्यानव्यन समिति की बैठकों में भाग - बीआईएस के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों जिन शहरों में स्थित है वहां सामान्यत : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गिठत है जिसकी बैठकों में कार्यालय प्रमुख का भाग लेना अनिवार्य है। अतएव कार्यालय प्रमुख समिति की बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करें।

च) **विज्ञापनों पर खर्च** - कार्यालय विज्ञापनों की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर ही खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी तथा प्रांतीय भाषाओं पर खर्च किया जाए।

ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि वे राजभाषा संबंधी उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन तथा और पिछले निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों से संबंधित कोई कार्यवाही यदि लंबित हो तो उस पर कार्वाही सुनिश्चित करें।

(विनोद कालरा)
प्रमुख (हिंदी)

बीआईएस के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को परिचालित